राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी
NATIONAL ACADEMY FOR TRAINING & RESEARCH IN SOCIAL SECURITY
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दृश्रम मंत्रालय भारत सरकार
Employees' Provident Fund Organisation(Ministry of Labour, Govt. of India)
30-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया,जनकपुरी, नई दिल्ली 110 058
30-31, Institutional Area, Janak Puri, New Delhi-110058
दूरभाष-011 28525993 फैक्स-28524079
Phone: 011 28525993 Fax: 28524079
website- www.natrss.gov.in
Email.natrss@hotmail.com

सं.13 / 14 / 2011-12 / नाटरस/ 7241-80   दिनांक : 20.7.2011

सेवा में,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/प्रभारी अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय/ उप- क्षेत्रीय कार्यालय,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय ।

विषय- अनुपालन प्रबंधन पर दिनांक 05 से 09 सितम्बर 2011 तक होने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम – में नामांकन से संबंधित

महोदय,

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी (नाटरस) अपने परिसर, 30-31 इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058 में अनुपालन प्रबंधन विषय पर दिनांक 05 से 09 सितम्बर 2011 तक एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रही है।

इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाएगा :

- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के अनुपालन उपबन्ध ।
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 7ए तथा 14बी के अन्तर्गत अर्द्धन्यायिक कार्यवाही एवं देयता का निर्धारण ।
- छूट प्रदान करने हेतु / रद्द करने हेतु शर्तें ।
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के अन्तर्गत देय की वसूली हेतु उपलब्ध विभिन्न प्रावधानों एवं आयकर अधिनियम की दूसरी अनुसूची का स्पष्टीकरण ।
- अन्तर्राष्ट्रीय कामगारों से संबंधित प्रावधान ।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपने क्षेत्र के स.भ.नि.आ.(अनुपालन)क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अनुपालन)/ उपक्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर रहे **किसी एक अधिकारी** को नामांकित करें । नामांकित करते समय **उन अधिकारियों को प्राथमिकता दें** जिन्होने पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी प्रशिक्षण (क.भ.नि. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण को छोडकर) में भाग नहीं लिया है । **जिन अधिकारियों ने इस वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें नामांकित न किया जाए**। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नामांकित अधिकारी इस वित्तीय वर्ष में सेवा निवृत नही हो रहा है।

कृपया नामित अधिकारी का नाम दिनांक 17.08.2011 तक अवश्य सूचित करें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ होने से एक दिन पहले हॉस्टल में आवास उपलब्ध होगा तथा प्रतिभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हॉस्टल में एक दिन से अधिक ठहर नहीं सकते। ठहरने की अवधि एक दिन से अधिक बढ़ाने के लिए निदेशक, नाटरस से विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

आपसे अनुरोध है कि नामित अधिकारी को इस निदेश के साथ कार्यमुक्त करें कि वह **05.09.2011** को ठीक 9.30 **(पूर्वाह्न)** प्रातः नाटरस में रिपोर्ट करें।

(निदेशक , नाटरस के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

(मनीष अग्निहोत्री)
उप-निदेशक &पाठ्यक्रम निदेशक दूरभाष- 011 28525993